# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

**अपील संख्या 278/2018**

**आरसीएमएस नं. 2018/399**

शिवराज सिंह पुत्र श्री वजीरसिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

**—अपीलार्थी**

**बनाम**

1. सैयद मोहम्मद (रेस्पोडेण्ट सं0 1)
   - 1/1 ईमाम सैन हाजी पुत्र सैयद मोहम्मद
   - 1/2 जुनाब अली पुत्र सैयद मोहम्मद
   - 1/3 मनाफ अली पुत्र सैयद मोहम्मद
   - 1/4 साबर अली पुत्र सैयद मोहम्मद
   - 1/5 जन्ना बीबी पुत्र सैयद मोहम्मद पत्नी सादक अली
   - 1/6 हनीफा बीबी पुत्री सैयद मोहम्मद पत्नी वारिस अली

   जाति मुसलमान निवासी 6 एलएलडब्ल्यू नवा तहसील व जिला हनुमानगढ

2. चिराग खां
3. जलाल खां
4. रमजान मोहम्मद
5. सिराज मोहम्मद उर्फ खिराज मोहम्मद
6. इलयास मोहम्मद

   पिसरान नाजर खां जाति मुसलमान निवासी नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ

7. बलराज सिह पुत्र वजीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

**— रेस्पोडेंट्स**

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2001

द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ

प्र. सं. 72/2000 अनवान चन्द सिंह आदि बनाम सैयद मोहम्मद आदि

**उपस्थितिः–**

श्री खुशप्रीत सिह संधु, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री नरेन्द्र सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या, 5

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 8

निर्णय दिनांक 10.04.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट व अन्य द्वारा राजस्थान कातश्कारी अधिकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिसमें कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम चक 2 आरआरब्ल्यू, 3 आरआरडब्ल्यू में अलग अलग खातों में संयुक्त खातों में भूमि दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रतिवादी संख्या 8 ता 1 वादी संख्या 6 की बहिनें है जिन्होंने अपना विरासत में प्राप्त हक जरिये पंजीकृत दस्तबरदारी अपने भाई वादी संख्या 6 के पक्ष में छोड़ दिया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व 13 में विवादित भूमि का घरू बंटवारा अच्छी मंदी के हिसाब से कर लिया। चक 2 आरआरडब्ल्यू के खाता संख्या 82/84 व चक 3 आरआरडब्ल्यू 'ए' के खाता संख्या 71/74 में जो भूमि वादी संख्या 2 के नाम स्व0 बलवीर सिह की मृत्यु के पश्चात् विरासत में मिली है, जिसमें वादी संख्या 2 का कोई हक हिस्सा नही है यह भूमि वादी संख्या 6 की है। वादी संख्या 2 का नाम खाता में गलत दर्ज है। चक 2 आरआरडब्ल्यू के खाता संख्या 83/85 में प्रतिवादी संख्या 5 का नाम गलत दर्ज है। चक 2 आरआरडब्ल्यू के खाता संख्या 83/85 में प्रतिवादी संख्या 5 का नाम रमजान मोहम्मद के स्थान पर खान मोहम्मद लिखा गया जबकि इसी चक के खाता संख्या 12/13 में प्रतिवादी संख्या 5 का नाम रमजान मोहम्मद लिखा हुआ है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्तानुसार खाता तकसीम करवाने हेतु कहा तो वे

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

इनकार हो गये। बस यही वाद कारण अतः अतः वादी वादीगण डिक्री किया जाकर दावा की दफा 3 में वर्णित आराजी की दावा की द्फा 4 के अनुसर घोषणा की जाकर खाता तकसीम किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने जवाब दावा पेश कर वा पत्र के तथ्यों को स्वीकार कर कथन किया कि वाद वादी डिक्री किये जाने में उन्हें कोई एतराज नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वदीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की अपील सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय कतई गलत विधि विरूद्ध एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलांट व रेस्पोडेण्ट संख्या 7 द्वारा दिनांक 05.07.2000 को जरिये पंजीकृत बैयनामा सैयद मोहम्मद, चिराग खां, जलाल खां, सुलतान खां, रमान मोहम्मद उर्फ खान मोहम्मद, सिराज मोहम्मद इल्यास पिसरान नाजर खां से चक 2 आरआरडबल्यू, खाता संख्या 12/13 में उनके नाम दर्ज 5.819 है0 में से 0.443 है0 व खाता संख्या 83/85 में 2.214 है0 में से 1.518 है0 आराजी खरीद की तथा बैयनामा में खरीदशुदा आराजी खाता संख्या 12/13 के पतथर नं. 136/228 मुरब्बा नं0 22 किला नं. 4/0.190, 5/0.253 व खाता संख्या 83/85 में पत्थर नम्बर 135/227 मुरब्बा नं. 20 किला नं. 4, 5, 6, 7, 14, 15/1.518 है0 का कब्जा प्राप्त किया तब से लेकर आज तक प्रार्थी का कब्जा शांतिपूर्वक चला आ रहा है, जिसका राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद भी हो चुका है। अधीनस्थ न्यायलाय में पूर्व की जमाबंदियों के आधार पर खरीदशुदा आराजी का विवरण अंकित नहीं तथा जिसके कारण अपीालधीन निप्रय व डिक्री की पालना में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 7 द्वारा खरीदशुदा आराजी रेस्पो0 सं0 1 ता 6 के नाम दर्ज हो गई। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों की और ध्यान ना देकर कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट द्वारा अपने नाम दर्ज आराजी क ऋण स्वीकृत करवाने हेतु अपीलाण्ट ने तहसील परिसर हनुमनगढ अपनी जमाबंदी प्राप्त की तब उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान हुआ। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार कर वाद डिक्री करने का कथन किया था। उभयपक्ष ने किसी भी पक्ष द्वारा वाद का विरोध नहीं करने के कारण वाद वादी डिक्री किया है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर अपील पेश की है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का समुचित कारण नहीं बताया है। विचारण न्यायालय ने रिकार्ड का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है जो खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने डीएनजे 2014 एस.सी पेज 310, 2012 (2) डीएनजे पेज 781 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणवगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के अन्तर्गत वाद पेश हुआ था जो स्वीकार किया है। प्रस्तुत वाद पत्र में जमाबंदीयां व अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 7 का खरीदशुदा रक्बा शामिल नहीं था पूर्व मं दर्ज हिस्से अनुसार पत्र पेश होने के उपरान्त वाद पत्र वाद डिक्री किया गया जबकि दिनांक 08.07.2000 को अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट वादग्रस्त आराजी खरीद की जा चुकी थी जिसका नामानतरण भी राजस्व रिकार्ड में हुआ चुका था, परन्तु जमाबन्दी पूर्व दिनांक की होने के कारण खरीदशुदा आराजी का विवरण अंकित नहीं किया गया। जिसके कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 7 द्वारा खरीदशुदा आराजी रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 6 के नाम दर्ज हो गई। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायलाय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में संशोधित किया जाना उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में संशोधन करते हुए रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 6 के हिस्से में चक 2 आरआरडब्ल्यू, खाता संख्या 181/166, खाता सैयद मोहम्मद आदि, जमाबन्दी संवत 2072–75 में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पत्थर नं. 135/227 मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 4 ता 7, 14, 15 व पत्थर नंबर 136/228 मुरब्बा नं. 22 के किला नं. 4/1/0.190, 5/0.253, कुल 1.961 है0 को कम कर अपीलाण्ट शिवराज सिह व रेस्पोडेण्ट संख्या 7 बलराज सिंह को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.06.2001 यथावत रखे जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ को पत्र जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 10.04.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

10/4/23

**(करतारसिंह पूनिया)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी**
**हनुमानगढ़**

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

**अपील संख्या 278/2018**

**आरसीएमएस नं. 2018/399**

शिवराज सिंह पुत्र श्री वजीरसिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

**—अपीलार्थी**

**बनाम**

1. सैयद मोहम्मद (रेस्पोडेण्ट सं0 1)
   1/1 ईमाम सैन हाजी पुत्र सैयद मोहम्मद
   1/2 जुनाब अली पुत्र सैयद मोहम्मद
   1/3 मनाफ अली पुत्र सैयद मोहम्मद
   1/4 साबर अली पुत्र सैयद मोहम्मद
   1/5 जन्ना बीबी पुत्र सैयद मोहम्मद पत्नी सादक अली
   1/6 हनीफा बीबी पुत्री सैयद मोहम्मद पत्नी वारिस अली
   } जाति मुसलमान निवासी 6 एलएलडब्ल्यू नवा तहसील व जिला हनुमानगढ
2. चिराग खां
3. जलाल खां
4. रमजान मोहम्मद
5. सिराज मोहम्मद उर्फ खिराज मोहम्मद
6. इलयास मोहम्मद
   } पिसरान नाजर खां जाति मुसलमान निवासी नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ
7. बलराज सिह पुत्र वजीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

**— रेस्पोडेंट्स**

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2001
द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ
प्र. सं. 72/2000 अनवान चन्द सिंह आदि बनाम सैयद मोहम्मद आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री खुशप्रीत सिह संधु, अभिभाषक अपीलार्थी, श्री नरेन्द्र सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5, श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 8 की बहस समायत की अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में संशोधन करते हुए रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 6 के हिस्से में चक 2 आरआरडब्ल्यू, खाता संख्या 181/166, खाता सैयद मोहम्मद आदि, जमाबन्दी संवत 2072–75 में पत्थर नं. 135/227 मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 4 ता 7, 14, 15 व पत्थर नंबर 136/228 मुरब्बा नं. 22 के किला नं. 4/1/0.190, 5/0.253, कुल 1.961 है0 को कम कर अपीलाण्ट शिवराज सिह व रेस्पोडेण्ट संख्या 7 बलराज सिंह को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.06.2001 यथावत रखे जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ को पत्र जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय के शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 10.04.23 को जारी की गई।

10/4/23
(करतार सिंह पूनियॉ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ